न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 36/2007/223 आरटीए

देवीलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. पवनकुमार पुत्र जगदीशचन्द जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

———असल रेस्पो0/वादी

2. जगदीशचन्द्र पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. किरनरानी पुत्री जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण

4. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया।

——रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया मु.न. 50/07 अनवानी पवनकुमार बनाम जगदीशचन्द्र आदि

उपस्थित :–

श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांक 22.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0सं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए चक 5 एचआरपी तादादी 4.237 है0 भूमि को शामिल करते हुये अपने पिता रेस्पो0 सं. 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर उक्त भूमि मे रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज 1.059 है0 भूमि कथित घरू विभाजन मे प्राप्त होना ब्यान कर अपनी एक खातेदारी होने की घोषणा चाही। रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने इकबालदावा प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं. 1 के वादपत्र का मिलीभगत पूर्ण विरोध नही किया तथा अधीनस्थ न्यायालय

ने दिनांक 21.04.07 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर चक 5 एचआरपी के खाता सं. 31/33 मे रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज 1.059 है0 भूमि का रेस्पो0 सं. 1 को खातेदार घोषित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध है। रेस्पो0 सं. 2 जगदीशचन्द्र ने चक 5 एचआरपी के खाता सं. 31/33 तत्कालीन खाता सं. 74/66 की 4.237 है0 भूमि मे अपना 1/4 हिस्सा यानि 1.059 है0 तथा पृथ्वीराज ने अपना 1/4 हिस्सा यानि 1.059 है0 कुल 2.118 है0 भूमि अपीलांट के पक्ष मे जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 03.10.2002 को त्याग कर दिया था। रेस्पो0 सं. 2 का उक्त खाता सं. 31/33 मे कोई हक व हिस्सा नही था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर परस्पर मिलीभगत कर डिक्री हासिल की है। प्रश्नगत भूमि चक 5 एचआरपी के खाता सं. 31/33 तादादी 4.237 है0 मे अपीलांट अपने 3/4 हिस्सा पर एवं विनोद कुमार अपने 1/4 हिस्सा पर काबिज है। रेस्पो0 सं. 1 ने कथित घरूबंटवारा का कथन कर 1.059 है0 भूमि पर अपना कब्जा होने का मिथ्या कथन किया। इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई तात्विक साक्ष्य प्रस्तुत नही की। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित घरूबंटवारा एवं कब्जा होने संबंधी किसी साक्ष्य के अभाव मे सिर्फ रेस्पो0 सं. 2 की स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री पारित कर भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र मे पक्षकार नही था। परन्तु अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है। इसलिये अपीलांट यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नही है और ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि घरूबंटवारा मे रेस्पो0 को प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त भूमि जगदीशचन्द्र के नाम दर्ज है जिसमे रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा विरासतन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनता है। अपीलांट का तर्क कि वादग्रस्त भूमि जरिये दस्तबरदारी अपीलांट को प्राप्त हुई कतई आधारहीन है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि जगदीशचन्द्र के नाम दर्ज थी जिसमे जगदीशचन्द्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित आकर इकबालदावा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था परन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होने के कारण धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत उन्हे व्यथित पक्षकार मानते हुये तृतीय पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0सं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए चक 5 एचआरपी तादादी 4.237 है0 भूमि को शामिल करते हुये अपने पिता रेस्पो0 सं. 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर उक्त भूमि मे रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज 1.059 है0 भूमि कथित घरू विभाजन मे प्राप्त होना ब्यान कर अपनी एक खातेदारी होने की घोषणा चाही। रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने इकबालदावा प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं. 1 के वादपत्र का विरोध नही किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.04.07 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर चक 5 एचआरपी के खाता सं. 31/33 मे रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज 1.059 है0 भूमि का रेस्पो0 सं. 1 को खातेदार घोषित कर दिया जबकि प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य के अनुसार चक 5 एचआरपी के 4.237 है0 भूमि मे से खातेदार जगदीशचन्द्र व पृथ्वीराज पि. पदमाराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपीलांट देवीलाल के पक्ष मे जरिये दस्तबरदारी दिनांक 03.10.2002 को कर दिया। जिसके उपरांत चक 5 एचआरपी मे रेस्पो0 जगदीशचन्द्र व पृथ्वीराज का हक हिस्सा समाप्त हो गया है। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रश्नगत दस्तबरदारी दिनांक 03.10.2002 को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर घोषणा की डिक्री प्राप्त की गई है जो विधिपूर्ण नही है। क्योंकि दस्तबरदारी दिनांक 03.10.2002 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा उक्त दस्तावेज को निरस्त किये बिना रेस्पो0 दस्तबरदार भूमि की घोषणा अपने नाम नही करवा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिपूर्ण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुष्टि योग्य नही से यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2007 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित सहित लौटाई जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 36/2007/223 आरटीए

देवीलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. पवनकुमार पुत्र जगदीशचन्द जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

———असल रेस्पो0/वादी

2. जगदीशचन्द्र पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. किरनरानी पुत्री जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादीगण

4. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया।

——रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया मु.न. 50/07 अनवानी पवनकुमार बनाम जगदीशचन्द्र आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलांट, श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2007 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.06.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ